सं.-1/6/2008-पी एंड पी डब्ल्यू(ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 22.06. 2010.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विधवा या तलाकशुदा या अविवाहित बेटी/माता-पिता /निर्भर नि:शक्त बच्चे अर्थात् भाई और बहनों के नामों को पीपीओ में शामिल की क्रियाविधि के बारे में ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह विभाग का.ज्ञा. सं. 1/21/91-पीएंडपीडब्ल्यू(ई.) दिनांक 20.1.1993 द्वारा पहले ही स्पष्ट किया गया था कि 1.1.1990 से शुरू किए गए संशोधित पीपीओ प्रारूप में पेंशनभोगी के परिवार के सभी सदस्यों के विवरण की प्रविष्टि के लिए प्रावधान किया गया है । दिनांक 1.1.90 से पूर्व जारी पीपीओ में तथापि, पेंशनभोगी के बच्चों का नाम/विवरण नहीं होते थे । इन मामलों में जहां योग्य बच्चों के नामों को विभिन्न कारणवश पीपीओ में शामिल नहीं किया गया है तो पेंशनभोगी पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को योग्य बच्चों की सूची दे सकता है और उस प्राधिकरण से एक पावती ले सकता है । इस पावती को कुटुम्ब पेंशन दावे की प्रस्तुति करते समय पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, पावती की प्रस्तुति कुटुम्ब पेंशन के दावे प्रक्रिया पूरी करने की पूर्व शर्तें नहीं हैं ऐसा होने पर भी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की पत्नी ऐसे बच्चों के विवरण दे सकती है, यदि पूर्व में सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को नहीं दिया गया है जैसाकि दिनांक 15.1.1999 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/21/91-पीएवंपीडब्ल्यू(ई.) द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

2. इस विभाग को पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी और पेंशनभोगी संगठनों द्वारा, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की ओर से योग्य परिवार के सदस्यों (अर्थात् विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्रियों: माता-पिता और निर्भर नि:शक्त बच्चों (अर्थात् भाई और बहन) के नामों को पीपीओ में शामिल करने की अनिच्छा को दर्शाने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; जिसके द्वारा कुटुम्ब पेंशन के योग्य परिवार के सदस्यों को स्वीकृति में देरी हो रही है । यह न केवल नैराश्य का स्रोत है और परिवार के ऐसे योग्य सदस्यों के यथोचित दावे को मना करना है बल्कि कई बार उनके लिए बिना कारण के कठिनाई पैदा करना है ।

3. पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करने और देरी को समाप्त करने के दृष्टिकोण से, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उन मामलों में जहां पीपीओ के जारी होने के बाद परिवार के योग्य सदस्यों (अर्थात् तलाकशुदा या विधवा या अविवाहित पुत्री/माता-पिता/निर्भर नि:शक्त बच्चों अर्थात् भाई/बहनें) का मामला सामने आता है तो पेंशनभोगी स्वयं या उसकी पत्नी तलाकशुदा या विधवा या अविवाहित पुत्री/माता-पिता/निर्भर नि:शक्त बच्चों (अर्थात् भाई और बहनें) का विवरण उपर्युक्त पैरा (।) में दी गई क्रियाविधि के अनुसार पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं । इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी अथवा उसके पति/पत्नी की मृत्यु हो गई हो, तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुत्री/माता-पिता/निर्भर नि:शक्त बच्चे स्वयं ऐसे ब्यौरे पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं । तथापि, ऐसे मामलों में कुटुम्ब पेंशन की पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना/पावती के भी प्रक्रिया चलाई जा सकती है, यदि दावेदार द्वारा योग्यता का समुचित सबूत दिया गया है और कुटुम्ब पेंशन की स्वीकृत करने की अन्य शर्तें पूरी की जा रही हैं ।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनकी दिनांक 15.6.2010 के यू.ओ. सं. 368/ईवी/2010 द्वारा जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

(के.एस. छिब्बर)
उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।